बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

28 नवम्बर, 2024

[कृषि - पशु एवं मत्स्य संसाधन - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता राजस्व एवं भूमि सुधार].

कुल अल्पसूचित प्रश्न - 6

खाद की निर्धारित मूल्य

18. **श्री अजय कुमार (बिभूतिपुर):**

कृषि

स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-18 अक्टूबर, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ‘‘बिहार डीएप खाद 2000 रूपये में बिक रहा डीएपी खाद का बोरा, विक्रेताओं ने दुकान पर लगाए ‘आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड’’के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के बेगूसराय, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा सहित अन्य जिलों में रबी फसल की बोआई के पहले ही डी0ए0पी0 (फासफेटिक) खाद की किल्लत है, जिससे किसानों को काफी कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद की निर्धारित मूल्य 1350 से 1450 रूपये है, जबकि बिचैलियों एवं विक्रेताओं द्वारा आउट ऑफ स्टॉक बताकर खाद को 1700 से 2000 रूपये तक बेचे जा रहे है, जिससे किसानों का आर्थिक दोहन हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य में डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर, कालाबाजारी पर रोक लगाने एवं दोषियों पर कार्रवाई

करने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जलपूर्ति योजनाएं

19. **श्री तारकिशोर प्रसाद (कटिहार):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 04.10.2024 को प्रकाशित शीर्षक ''नल जल की बंद योजनाएं साल भर बाद भी चालू नहीं''

के आलोक में क्या मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग ने 70 हजार जलपूर्ति योजनाएं विभाग को हस्तांतरित की है;

(2) क्या यह बात सही है कि अभी तक हस्तांतरित सभी जलापूर्ति योजनाओं का विभाग द्वारा मरम्मत नहीं किए जाने से ग्रामीण नल से जल योजना से वंचित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने का इरादा रखती है, हॉ तो कबतक ? नहीं तो क्यों ?

भूजल उपलब्धता

20. **श्री तारकिशोर प्रसाद (कटिहार):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 04.11.2024 को प्रकाशित शीर्षक ''11 जिलों में पानी का डिस्चार्ज सबसे कम'' के

आलोक में, क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सबसे कम भूजल उपलब्धता मुंगेर, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, गया, बक्सर, दरभंगा, अरवल, बिहारशरीफ एवं नवादा में है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जिलों में सबसे कम भूजल उपलब्धता रहने के कारण आम लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जल संकट से निजात के लिए आवश्यक कदम उठाने का इरादा रखती है, हाँ तो कबतक?नहीं तो क्यों ?

भवन निर्मित जमीन

21. **श्री पवन कुमार जायसवाल (ढाका):**

राजस्व एवं भूमि सुधार

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया एवं पचपकड़ी के भवन निर्मित जमीन का दाखिल खारिज तथा जमाबदी कायम नियम विरूद्ध किया गया है; (2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपर मुख्य सचिव को दिनांक 21.10.2024 को दिए गए शिकायत पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सहायक निदेशक भू अर्जन सह संयुक्त सचिव द्वारा समाहर्ता पू.च. पत्रांक 2941 दिनांक 23.10.2024 द्वारा वरीय पदाधिकारी से जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है; यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार फुलवरिया एवं पचपकड़ी सरकारी विद्यालय के भवन निर्मित जमीन का अंचलाधिकारी/कर्मचारी/कर्मियों/विक्रेता की मिली भगत से नियम विरूद्ध हुए दाखिल खारिज, जमाबंदी को रद्द करने तथा दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भूमि सुधार विभाग

22. **श्री अखतरूल ईमान (अमौर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार

दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 27.10.2024 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ‘‘जमीन बिहार के 50 प्रतिशत मामलों का तय समय में निपटारा नहीं’’ के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- 1 क्या यह बात सही है कि जमीन के दाखिल खारिज का निबटारा 30 दिनों में और जमीन विवाद के मामलों का निबटारा 90 दिनों में करना अनिवार्य है; 2 क्या यह बात सही है कि राज्य के 101 डीसीएलआर कार्यालयों में निर्धारित समय में जमीन विवाद से जुडे मामलों के निष्पादन की दर 60 प्रतिशत से भी कम है ; 3 यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो 101 डीसीएलआर कार्यालयों में तय समय में जमीनों के विवाद का 50 प्रतिशत निबटारा लंबित रहने का क्या औचित्य है?

फसल अनुदान देना

23. **श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा):**

कृषि

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-20.11.2024 को प्रकाशित ‘‘राज्य के 24 हजार बाढ़ प्रभावित किसानों को नहीं मिल रहा फसल क्षति का अनुदान’’ शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1.क्या यह बात सही है

कि राज्य के 19 जिलों में 224597 हेक्टेयर का रकवा वर्ष -2024 के बाद से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण 33 प्रतिशत से अधिक फसल बर्बाद हो गया है; 2. क्या यह बात सही है कि राज्य के भोजपुर, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा सहित 19 जिलों के 24 हजार बाढ़ प्रभावित किसानों का आवेदन विभागीय स्तर से पर लंबित होने के कारण किसानों को फसल क्षति अनुदान अबतक नहीं मिल पाया है; 3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उक्त जिलों के बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति अनुदान का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना-800015 .
28 नवंबर , 2024.

श्रीमती ख्याति सिंह ,
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा